Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 28/02/2019

File No.

(1) FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(2) PB/35/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(3) UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(4) SU/16/2017/STGMP/DEOLAAC/RU-III
(5) MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(6) AT/7/2018/STGMP/ATOTH/RU-III
(7) CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सेवा में,

1. जिला कलेक्टर
   जिला छिन्दवाड़ा
   (म.प्र.)

2. पुलिस अधीक्षक
   जिला छिन्दवाड़ा
   (म.प्र.)

विषय :– 1. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा का अभ्यावेदन ।

2. आनावेदक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने बाबत श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में – श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

4. आवेदक के स्वमित्तव की भूमि पर अनावेदिका द्वारा जबरन कब्जा करने बाबत– श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को रावल मायनिंग कोर्पोरेशन रामपेठ दवामी द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

6. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अन्य लोगों द्वारा 25 लाख 50 हजार रुपयों की धोखाधड़ी कर और आवेदक की पत्नी का अपहरण कर उसकी राशि लूट लेने,जाति सूचक गाली–गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

7. आदिवासी समाज की आवेदिका के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 766/1 रकबा 1.584 हे. में से शासन द्वारा अतिक्रमित रकबा 0.599 हे. भूमि का कब्जा दिलाने अथवा शासन द्वारा अतिक्रमण कर किय गये स्थायी निर्माण के बदले में शासन मद की भूमि ख.नं.635/1, 635/2, 652/2 का मद परिवर्तन कर स्थानान्तरण किये जाने बाबत श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 21.01.2019 को कलेक्टर सभाकक्ष जिला कलेक्टर छिंदवाडा (म.प्र.) के साथ किए गए बैठक कि रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि बैठक कि रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

28/1/2019

(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।
2. श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा
3. श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
4. श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
5. श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
6. श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
7. श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
8. श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) कार्यवृत्त

अपीलकर्ता आवेदक :–	श्री अतरू पिता श्री तुलसी परते निवासी रामगढ, तहसील चौरई जिला छिन्दवाडा
आयोग की फाईल नंबर	**AT/07/2018/STGMP/ATOTH/RU-III**
सुनवाई / बैठक की तिथि	21/01/2019
सुनवाई /बैठक में उपस्थित अधिकारी	परिशिष्ट क
स्थान	सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

उपरोक्त विचाराधीन आवेदक की अपील / अभ्यावेदन पर मेरे द्वारा छिन्दवाडा प्रवास के समय कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के सभाकक्ष में सुनवाई की गई जिसका कार्यवृत्त इस प्रकार है।

श्री अतरू पिता श्री तुलसी परते निवासी रामगढ, तहसील चौरई जिला छिन्दवाडा फाईल नंबर AT/07/2018/STGMP/ATOTH/RU-III

1. अपीलकर्ता / आवेदक श्री अतरू पिता श्री तुलसी परते जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, से आयोग को दिनॉक 10/8/2018 को विचाराधीन अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसका परीक्षण किया गया और प्रकरण दर्ज कर नोटिस के माध्यम से कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा से प्रतिवेदन मंगाने का निर्णय लिया गया।
2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्देशानुसार नोटिस कमांक **AT/07/2018/STGMP/ATOTH/RU-III** दिनॉक **10 Aug 2018** जारी करते हुए कलेक्टर छिन्दवाड़ा एवं पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा से 30 दिवस में डाक के माध्यम से अथवा उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सूचित किया गया।
3. सुनवाई निर्धारित करने की तारीख तथा सुनवाई दिनॉक तक आयोग को प्रतिवेदन को प्राप्त नहीं हुआ है।
4. अपीलकर्ता श्री अतरू पिता श्री तुलसी परते ने सुनवाई में उपस्थित होकर समक्ष में बयान दिया कि – उसकी **पत्नी श्रीमती धम्मीबाई के** अधिपत्य की भूमि खसरा कमांक **557/1, 1557/2, रकबा 0.137 Hac. and 567/1, 657/2,567/5/6, Rakba 1.0749 Hac, 553/10, 553/16, 554/5, 556/1, 556/2 Total Rakba 0.475 Hac. Khasra No. 389/1, 389/2, 390/1,2, 392/1,2. 392/16, 398/1, 400/6, 401/1, 402/1, 403/4, Rakba 1.408** की भूमि को अनावेदकों श्री बलराम पिता श्री लखनलाल कसार, श्री गोलू पिता बलराम कसार, श्री

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

कमलेश पिता छिद्दीलाल सोनी निवासी नदी मोहल्ला सिंगोडी तहसील अमरवाडा एवं श्री कल्याण सिंग पिता श्री भीमा मसराम निवासी बारहबरयारी तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा द्वारा श्री कल्याणसिंग के नाम करा दी गई है।

5. अपीलकर्ता का कथन है कि उसकी भूमि की जो रजिस्ट्री कराई गई है उसमें जो चेक दिये गये थे वे अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करा दिये गये हैं।
6. अपीलकर्ता तथ उसकी पत्नी को अमरवाड़ा में ले जाकर बैंक खाते के नाम पर किस दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराए गये वे उन्हें ज्ञात नहीं है।
7. अपीलकर्ता के साथ मारपीट, गाली–गलौंज तथा अपमानित किया गया है जिससे वह आहत है, उसके साथ धोखा–धड़ी की गई है।
8. अपीलकर्ता चाहता है कि रजिस्ट्री एवं पंजीयत इकरारनामा रद्द कराया जावे और अपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसे न्याय दिलाया जाए। उसकी पत्नी को अनावेदकों के कब्जे से मुक्त कराया जावे।
9. प्रकरण में पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया था किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। उनके स्थान पर श्री एस.पी.सिंह, उप पुलिस अधीक्षक ए.जे. के. छिन्दवाड़ा उपस्थित हुए, जिनके सुनवाई में अधिकृत होने/करने की विधिवत सूचना भी आयोग को नहीं दी गई।
10. उप पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकरण में पक्ष प्रस्तुत करते हुए इस आवेदन/अपील को पति –पत्नि का आपसी विवाद बताया गया, जबकि आवेदक के कथन और तर्क से प्रथम दृष्टया यह प्रकरण पति पत्नी का आपसी विवाद प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय एवं निष्कर्ष

- सुनवाई में अपीलकर्ता तथा प्रशासन के तथ्यों का श्रवण करने से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण पति–पत्नी का आपसी विवाद नहीं होकर जनजाति की भूमि को भू–माफियाओं द्वारा कम दामों में बिकवा कर बहुत बड़ी राशि का गबन किया गया है।
- प्रथम दृष्टया जनजाति वर्ग के गरीब और ऑखों से दिव्यांग हो गये व्यक्ति को उसके अधिकारों और संपत्ति से बेदखल किया गया प्रतीत होता है।
- पुलिस प्रशासन द्वारा भी केवल पति पत्नी का आपसी विवाद मानकर दस्तावेजी सबूत जैसे बैंक स्टेटमेंट, क्रेता के पास संपत्ति क्रय करने के लिये पैसा कहॉ से आया, बैंक में आवेदक के नाम

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के चेक जमा न होना और अन्य के खाते में राशि जमा होना, 8 लाख के चेक के अतिरिक्त शेष नकद राशि किस किसके पास गई, ज्ञात नहीं होना सन्देह उत्पन्न करता है।

- पुलिस द्वारा 10 अगस्त 2018 से आयोग के नोटिस उपरांत प्रकरण को गंभीरता से न लेना और पुलिस रिपोर्ट दर्ज न करना, प्रतिवेदन भी नहीं भेजना भी विचारणीय है।
- सभी तथ्यों पर गौर करने के उपरांत निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक स्तर से व्यापक जॉच कराई जावे और तथ्यों को उजाकर करते हुए 15 दिवस में आयोग को अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन भेजा जावे।
- निर्धारित सुनवाई में काफी समय पूर्व से पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा को उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया गया था किन्तु पुलिस अधीक्षक की उपस्थित नहीं रही जो कि **आयोग के निर्देशों को अनदेखा करने के समान है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जावे।**

(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) उपस्थिति पत्रक

अपीलकर्ता आवेदक :– श्री अतरू पिता श्री तुलसी परते निवासी रामगढ, तहसील चौरई जिला छिन्दवाडा।

आयोग की फाईल नंबर **AT/07/2018/STGMP/ATOTH/RU-III**

सुनवाई / बैठक की तिथि : 21/01/2019

स्थान : सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली

- सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली
- श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी, मान. उपाध्यक्ष महोदया के सहायक निज सचिव

जिला प्रशासन छिन्दवाड़ा

- श्रीमती कविता बाटला, अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा।
- श्री एस.पी.सिंह, डी.एस.पी. ए.जे.के. छिन्दवाडा।
- श्रीमती रश्मी जैन, निरीक्षक, ए.जे.के. छिन्दवाडा।
- तहसीलदार, चौरई श्री रायसिंह कुशराम।

अपीलकर्ता आवेदकगण

- श्री अतरू परते
- श्रीमती धम्मीबाई परते